कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर।

क्रमांक :– का.आ. / 2019 / 67 दिनांक :– 24 सितम्बर, 2019

कार्यालय–आदेश

मैं **केदार नाथ, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) एवं 410(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक का.आ. / 2019 / 52 दिनांक 30 जुलाई, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश पारित करता हूँ कि दिनांक 28 सितम्बर, 2019 चतुर्थ शनिवार के अवकाश के दिन आर.जे.एस.एसोशियेशन के चुनाव होने के कारण उक्त अवकाश के दिन जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों के जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य जयपुर जिला जयपुर, चौमू एवं जमवारामगढ मुख्यालय के लिये नियुक्त **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमू, जिला–जयपुर** द्वारा ही निष्पादित किये जायेंगे एवं दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को उक्त कार्यो के लिये नियुक्त कोटपूतली, शाहपुरा एवं विराटनगर मुख्यालय हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा एवं सांभरलेक, दूदू, फागी एवं किशनगढ रेनवाल मुख्यालय हेतु सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला–जयपुर को रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाता है।

Sd/-
(केदार नाथ)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक :– 2395 to 2405 दिनांक :– 24 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित ।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चौमू, सांभरलेक, कोटपूतली, दूदू एवं शाहपुरा, जिला–जयपुर **(जरिये E-Mail)**
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। **(जरिये E-Mail)**
5. समस्त अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
6. समस्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
7. समस्त अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
8. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाईल), कम–2, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
9. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर।
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जयपुर जिला / शहर / नोटिस बोर्ड।
11. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला,जयपुर।